

आम बजट 2018-19 में सामाजिक विकास से संबद्ध पक्ष

चर्चा में क्यों?

बजट 2018-19 में विशेषकर कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, आर्थिक दृष्टि से कम सुवर्धिता प्राप्त वर्ग के लोगों को उत्तम स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने, वरिष्ठ नागरिकों के हितों की रक्षा करने, आधारभूत सुवर्धिताओं के सृजन तथा देश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिये अधिक संसाधन उपलब्ध कराने के लिये राज्यों के साथ मलिकर कार्य करने पर विशेष रूप से जोर दिया गया है। ऐसे ही कुछ महत्त्वपूर्ण बट्टियों के संबंध में यहाँ संक्षिप्त विवरण पेश किया गया है।

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना

- भारत सरकार द्वारा 5 जनवरी, 2018 को प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) नाम से एक नई पेंशन योजना की शुरुआत की गई है।
- प्रधानमंत्री वय वंदना योजना वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना (2014) की तरह ही है, जिसे साल 2014-15 में लॉन्च किया गया था।
- 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले भारतीय नागरिक प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) में नविश करने के पात्र हैं। यह योजना 10 साल के लिये 8% प्रतविरष मासिक देय का नशिचति रटिरन सुनशिचति कराती है।
- योजना की खरीदारी के समय पेंशन द्वारा चुनी गई मासिक/तमिाही/अर्द्ध वार्षिक/वार्षिक आवृत्तता के अनुसार 10 वर्षों की पॉलिसी अवधि के दौरान हर अवधि के अंत में पेंशन देय है।
- इस योजना को सेवा कर और जीएसटी से छूट दी गई है। इस योजना में स्वयं या पतिया पत्नी की कसिी भी गंभीर/टर्मनिल बीमारी के इलाज के लिये समय पूर्व नकिसी का भी प्रावधान है।
- समय पूर्व नकिसी के मामले में योजना करय मूल्य की 98 % राशावापस की जाएगी।
- 10 वर्षों की पॉलिसी अवधि के दौरान पेंशनधारक की मृत्यु पर लाभार्थी को करय मूल्य का भुगतान कर दिया जाएगा।

बजट में नहिती बट्टि

- वरिष्ठ नागरिकों को गरमिापूर्ण जीवन प्रदान करने के लिये केंद्रीय बजट में बहुत सी महत्त्वपूर्ण रयियायतों की घोषणा की गई है।
- बैंकों तथा डाकघरों में जमा राशा पर ब्याज आय में छूट 10 हजार रुपए से बढाकर 50 हजार रुपए कर दी गई है तथा इस पर आयकर की कटौती नही की जाएगी। यह लाभ सावधि जमा योजनाओं तथा आवरती जमा योजनाओं में प्राप्त होने वाले ब्याज के लिये भी उपलब्ध होगा।
- इसके अतरिकित स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम या चकितिसा व्यय हेतु कटौती सीमा को 30 हजार रुपए से बढाकर 50 हजार रुपए कर दिया गया है।
- अब सभी वरिष्ठ नागरिक कसिी स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम या कसिी चकितिसा के संदर्भ में 50 हजार रुपए प्रतविरष तक कटौती के लाभ का दावा कर सकेंगे।
- गंभीर बीमारी से संदर्भ में चकितिसा खर्च के लिये कटौती सीमा को वरिष्ठ नागरिकों के मामले में 60 हजार रुपए और अतविरिष्ठ नागरिकों के मामले में 80 हजार रुपए से बढाकर सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिये एक लाख रुपए करने का प्रस्ताव किया गया है।
- इन रयियायतों से वरिष्ठ नागरिकों को 4 हजार करोड रुपए का अतरिकित कर लाभ प्राप्त होगा।
- टैक्स रयियायतों के अतरिकित प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को मार्च 2020 तक बढाया गया है। इस योजना के तहत भारतीय जीवन बीमा नगिम द्वारा 8% नशिचति प्रतलिाभ प्रदान किया जाता है।
- इस योजना के तहत प्रतविरिष्ठ नागरिक 7.5 लाख रुपए की मौजूदा नविश सीमा को बढाकर 15 लाख रुपए किया जा रहा है।

सुकन्या समृद्धि योजना

- बेटियों की उच्च शिक्षा और उनके वविाह के लिये सरकार द्वारा लघु बचत योजना शुरू की गई है। सुकन्या समृद्धि नामक इस योजना के तहत लोग बेटि के जन्म के समय डाकघरों में बचत खाता खोल सकते हैं।
- सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत बेटि के जन्म से लेकर 10 वर्ष की आयु तक कभी भी खाता खोला जा सकता है। योजना शुरू होने के समय जनि बालिकाओं की आयु 10 वर्ष हो चुकी है उनके अभभावक भी खाता खोल सकते हैं।
- इस योजना की सुवर्धिता केवल दो बेटियों के लिये ही मल्लिगी, लेकिन पहली बेटि के बाद यदचुडवाँ बेटियों जन्म लेती हैं तो तीसरी बेटि को भी इसका लाभ मल्लिगी।
- नवम्बर, 2017 तक देश भर में 1.26 करोड से अधिक लडकियों के बैंक खाते खोले गए जनिमें 19,183 करोड रुपए जमा किये गए।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 18 से 50 वर्ष की आयु समूह के उन लोगों के लिये उपलब्ध है, जिनका कोई बैंक खाता होगा जिसमें से स्वतः डेबिट सुविधा के ज़रिये प्रीमियम वसूल किया जा सकता है।
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत हर व्यक्तिको दुर्घटना या सहज मृत्यु पर रसिक कवर मलित है।
- इस योजना के तहत 330 रुपए वार्षिक (प्रतिदिन 1 रुपए से कम) प्रीमियम देने पर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा मलित है। इस योजना में दुर्घटना के साथ-साथ सामान्य मृत्यु पर भी बीमा राशामलित है।
- इस योजना का लाभ 18 से 50 वर्ष तक की आयु वाला कोई भी बैंक खाताधारक उठा सकता है। धारक के नाम से बीमा जारी कथि जाएगा जिसमें वह अपने उत्तराधिकारी का नामांकन करेगा।
- इस योजना में शामिल होने के लिये खाताधारक को अपने आधार कार्ड को बैंक से जोड़ना होगा। इसके बाद प्रतिवर्ष 1 जून से पहले एक फॉर्म भरकर बैंक में देना होगा, तभी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ प्राप्त कथि जा सकता है।
- योजना के अंतर्गत धारक के परिवार को उसकी मृत्यु (दुर्घटना के कारण अथवा स्वाभाविक) होने पर 2 लाख रुपए की राशाली जाएगी।
- इस योजना के तहत लगभग 5.22 करोड़ परिवार लाभान्वति हुए हैं।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

- इसके अंतर्गत दुर्घटना में मृत्यु और पूरण वकिलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपए और आंशिक वकिलांगता की स्थिति में 1 लाख रुपए के बीमा लाभ का प्रावधान कथि गया है।
- यह योजना 18 से 70 वर्ष की आयु समूह के उन लोगों के लिये है, जिनका कोई बैंक खाता है जिसमें से स्वतः डेबिट सुविधा के ज़रिये प्रीमियम वसूल कथि जाता है।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 12 रुपए वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मलित है और दुर्घटना में मृत्यु होने पर ही बीमा राशामलित है।
- बीमा धारक द्वारा 12 रुपए देने के अलावा सरकार के वभिन्न मंत्रालय भी बीमा कंपनयियों को प्रीमियम राशिका भुगतान करेंगे। यह भुगतान बना दावे की जमाओं से तैयार हुए पब्लिक वेलफेयर फंड और दूसरे स्रोतों से दथि जाएगा।
- बजट के अनुसार, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 13.25 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष महज 12 रुपए प्रीमियम के भुगतान पर 2 लाख रुपए के व्यक्तगत दुर्घटना बीमा का लाभ सुनिश्चित कथि गया है।
- सरकार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सहति सभी गरीब परिवारों को इनके दायरे में लाने के लिये मशिन मोड में काम कर रही है।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना

- बैंकिंग सेवाओं की पहुँच में वृद्धिकरने और यह सुनिश्चित करने के लिये कसभी परिवारों के पास कम से कम एक बैंक खाता हो, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 15 अगस्त, 2014 को प्रधानमंत्री जन-धन योजना नामक एक राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मशिन की घोषणा की गई।
- इस योजना को 28 अगस्त, 2014 को औपचारिक रूप में शुरू कथि गया।
- सभी 60 करोड़ बुनियादी खातों को इस योजना के दायरे में लाते हुए कवरेज का वसितार करने की दशिया में भी प्रयास कथि जा रहे हैं। साथ ही, इन खातों के ज़रिये सूक्ष्म बीमा सेवा और असंगठित क्षेत्र पेंशन योजना मुहैया कराने के लिये उपाए करेगी।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति

- अनुसूचित जातियों के लिये 279 कार्यक्रमों के लिये वर्ष 2016-17 के 34,334 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2017-18 में आवंटन को बढ़ाकर 52,719 करोड़ रुपए कथि गया।
- इसी तरह अनुसूचित जन-जातियों के लिये चल रहे 305 कार्यक्रमों के लिये 2016-17 में 21,811 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ था जो कविवर्ष 2017-18 में बढ़ाकर 32,508 करोड़ रुपए कर दथि गया है।
- वित्त वर्ष 2018-19 में इस राशिको और अधिक बढ़ाते हुए अनुसूचित जातियों के लिये 56,619 करोड़ रुपए और अनुसूचित जन-जातियों के लिये 39,135 करोड़ रुपए का आवंटन कथि गया है।

सरकार की सामाजिक कल्याण योजनाओं के वित्तपोषण हेतु आयातति वस्तुओं पर सामाजिक कल्याण अधभार

- आयातति वस्तुओं पर से शक्तिषा उपकर एवं माध्यमिक एवं उच्च शक्तिषा उपकर हटाने और इनके स्थान पर सामाजिक कल्याण अधभार लगाने का प्रस्ताव रखा गया है।
- आयातति वस्तुओं पर सामाजिक कल्याण अधभार कुल सीमा शुल्क के 10% की दर से लगाया जाएगा और इससे सरकार की सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिये आवश्यक धनराशामुहैया कराने में मदद मलितगी।
- जनि आयातति वस्तुओं पर अब तक शक्तिषा उपकर नहीं लगता था उन पर यह अधभार भी नहीं लगेगा।
- इसके अलावा कुछ वशिष्ट वस्तुओं पर प्रस्तावति अधभार कुल सीमा शुल्क के सर्रिफ 3% की दर से लगाने का प्रावधान कथि गया है।

उज्जवला योजना

- सरकार उज्जवला योजना के माध्यम से देश के गरीबों को निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान कर रही है। इसके अलावा सौभाग्य योजना के माध्यम से चार करोड़ घरों को बजिली कनेक्शन से जोड़ा जा रहा है।

अन्य प्रमुख पहलें

- तीन हज़ार से ज़्यादा जन औषध केंद्रों में 800 से ज़्यादा दवाईयाँ कम मूल्य पर बेची जा रही हैं। स्टैंट की कीमत न्यंत्रित की गई है और गरीबों के लिये निःशुल्क डायलिसिस हेतु विशेष योजना शुरू की गई है।
- प्रमाण-पत्रों को सत्यापित करने की बाधयता खत्म कर दी गई है और समूह 'ग' और 'घ' नौकरी में साक्षात्कार समाप्त करने से लाखों नौजवानों को समय और पैसे की बचत हुई है। सरकार हर व्यक्तिके कौशल व ज्ञान का अधिक-से-अधिक उपयोग करने के लिये पूरगतया प्रतबिद्ध है।
- सरकार ने बुनयादी ढाँचे के सुधारों की एक श्रृंखला को सफलतापूर्वक कार्यावति कया है। वस्तु और सेवा कर (GST) सहति अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बना दया गया है।
- डजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग से गरीबों तक लाभ पहुँचाने का लक्ष्य और प्रभावी हुआ है। उच्च मूल्य की मुद्रा के वमिद्रीकरण से संचालन में नकदी मुद्रा की मात्रा कम हुई है। इससे कराधान आधार और अर्थव्यवस्था को और अधिक डजिटल बनाने में मदद मली है।
- शोधन अक्षमता और दवालियापन कोड को लागू कयि जाने से ऋणी-ऋणदाताओं के बीच संबंध बदला है। बैंकों के पुनः पूंजीकरण से बैंक अब विकास की गतिको सहायता प्रदान करने में अधिकि सक्षम हो गए हैं।
- इन सभी संरचनात्मक सुधारों से मध्यम और दीर्घावधि में भारतीय अर्थव्यवथा को लंबे समय तक टकिाऊ सुदृढ विकास गतिको प्राप्त करने में सहायता मलीगी।
- इसके परिणामस्वरूप भारत वश्व की सबसे तेज़ी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है। इसके चलते अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी हाल ही में भारत के लयि अगले वर्ष में आर्थकि संवृद्धि दर के 7.4% रहने का अनुमान व्यक्त कया है।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/parties-related-to-social-development-in-the-general-budget-2018-19>

